संख्या- 18/1257 /22-4-14-48(61)/13

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 10 नवम्बर,2014

विषय- जिला कारागार, बिजनौर के महिला अहाते में किचेन, क्रेच वार्ड एवं अस्पताल के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27910/नम-2, दिनांक- 29 सितम्बर, 2014 के सन्दर्भ तथा शासनादेश संख्या-1926/22-4-13-48(61)/13, दिनांक 03 मार्च,2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बिजनौर के महिला अहाते में किचेन, क्रेच वार्ड एवं अस्पताल के निर्माण हेतु वॉछित रू0 11,61,000/-(रूपया ग्यारह लाख् इक्सठ हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,80,000/-(रूपया पॉच लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 5,81,000/-(रूपया पॉच लाख इक्यासी हजार मात्र) की स्वकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्वय-80-सामान्य -051-निर्माण-04- कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार -24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक- 03 मार्च, 2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- कार्य पूर्ण होने पर कार्य संपरीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22-07-2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 18/1257(1)/22-4-14-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, बिजनौर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in